


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी मे आई । प्रार्थी ने निवेदन किया की मूल वादपत्र खारिज हो गया। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की पहचान की गई। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र खारिज होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बरमेसे कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफतर हो ।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

